न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, (पीलीभीत)

परिवाद संख्या 325/2019

श्रीमती जाहिदा ––––––बनाम–––––– गुलाम नबी आदि।।

दिनांकः17.12.2019

पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया है एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.2019 को समय लगभग 7.30बजे शाम को मेरे पडोस के गुलाम नबी, मुहम्मद नबी व मोहसिन घर में घुस आये और मेरे पति के बारे में पूछने लगे तो मैने कहा वह घर पर नही है, तभी उपरोक्त लोग कहने लगे साले की जमानत हो गयी हैं जेल पहुॅचाने के लिए चार चार वकील खडे किये लेकिन इरशाद फिर भी जेल नही जा सका। परिवादिनी ने कहा जब घर आ जाए तभी बात करना, इसी बात पर नाराज होकर उपरोक्त तीनों लोग मॉ बहन की गन्दी गन्दी गालियॉ देने लगे, गालियॉ देने से मना किया और बाहर जाने को कहा तभी गुलाम नबी और मोहसिन ने परिवादिनी के सीने पर हाथ चलाया। परिवादिनी घबराहट की वजह से पीछे हटी और गिर गयी। तभी मुहम्मद नबी ने परिवादिनी को जमीन पर ही पकड लिया और गलाम नबी और मोहसिन ने परिवादिनी के साथ अश्लील हरकते की व सीने पर हाथ चलाया। परिवादिनी के शोर पर अजीम व बब्लू आ गये, जिन्होने उसे बचाया। विपक्षीगण इरशाद को आइन्दा जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

परिवादिनी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित कराया और परिवाद कथानक के समर्थन में उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू01 बब्लू व पी0डब्लू02 अजीम को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपने अपने सशपथ साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 से परिवाद कथानक का समर्थन है।

पत्रावली के अवलोकन से विदि्त है कि परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि दिनांक 01.05.2019 को गुलाम नबी, मुहम्मद नबी और मोहसिन मेरे घर में घुस आये और इन लोगों ने पूछा कि तेरा पति कहा है तो मैने कहा कि बाजार गए है, इसके बाद यह लोग गन्दी गन्दी गालियॉ देने लगे। तब मैने कहा कि जब मेरे पति आ जाए तो बात करना गुलाम नबी ने कहा कि चार चार वकील खडे किए फिर भी हमें जेल नही हुई। इसके बाद तीनो लोगों ने हमारे सीने पर हाथ चलाया, हमारे चिल्लाने पर अजीम और बब्लू आ गए, इसके बाद गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए यह लोग भाग गये। जिसका समर्थन परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा भी किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार विपक्षीगण गुलाम नबी, मुहम्मद नबी व मोहसिन परिवादिनी के घर में घुसकर गाली गलौज कर उसके सीने पर हाथ चलाकर अश्लील हरकते किये जाने के संबंध में तलब किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिवादिनी की परीक्षा अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षीगण की परीक्षा अन्तर्गत 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि विपक्षीगण गुलाम नबी, मुहम्मद नबी व मोहसिन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 354, 504 के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण गुलाम नबी, मुहम्मद नबी व मोहसिन को धारा 452, 354, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया जाता है। परिवादिनी अन्दर सप्ताह प्रोसेस फीस व सूची गवाहान दाखिल करे तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो।

पत्रावली वास्ते हाजरी अभियुक्तगण दिनांक 19.01.2020 को पेश हो।

(अनुपम सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर,पीलीभीत।